पत्र सं०–एम–4–21/2021 5349 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–08-06-2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में दिशा–निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत कतिपय मामलों में व्यय हेतु अग्रिम निकासी का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में कोषागारों से निकासी की गई अग्रिम राशि के लंबी अवधि तक अव्यवहृत रहने के दृष्टांत उजागर हुये हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–176 एवं 177 के आलोक में कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जानी चाहिए जितना तत्काल व्यय हेतु आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु पूर्व के वित्तीय वर्षों में आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाते रहे हैं।

2. सम्यक विचारोपरांत वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु चालू वित्तीय वर्ष (2026–2027) में निधि निकासी के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किये जाते हैः–

"विभिन्न प्रकार के कार्य अग्रिम (यथा, मोबिलाईजेशन अग्रिम, सुरक्षित अग्रिम, सामग्री और खरीद अग्रिम), GeM के तहत अधिप्राप्ति हेतु GPA में राशि अंतरण/हस्तांतरण तथा प्राकृतिक आपदा से संबंधित मामले को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में अग्रिम की निकासी वित्त विभाग की सहमति के पश्चात ही की जा सकेगी।"

3. अतएव अनुरोध है कि अपने विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निधि निकासी के क्रम में उक्त दिशा–निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः–एम–4–21/2021–5349 /वि०

पटना, दिनांक–08-06-2026

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांकः—एम—4—21/2021—5349/वि० **पटना, दिनांक**—08-06-2026

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, लोकभवन/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8/6/26

सचिव।

ज्ञापांकः—एम—4—21/2021—5349/वि० **पटना, दिनांक**—08-06-2026

प्रतिलिपिः—माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/6/26

सचिव।